सत्यमेव जयते

ASHISH SOOD

MINISTER OF HOME, POWER, URBAN DEVELOPMENT, EDUCATION,
HIGHER EDUCATION, TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रिय दिल्ली वासियों,

नमस्कार,

माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के आह्वान पर हम सभी को मिलकर दिल्ली को स्वच्छ और ऊर्जा–आत्मनिर्भर बनाना है। बढ़ती खपत और प्रदूषण के बीच रुफटॉप सोलर ही वह उपाय है जो आपका बिजली बिल घटाता है और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा व सुरक्षित भविष्य देता है। आइए, अपनी छत को बिजली घर बनाकर स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं।

क्यों अपनाए रुफटॉप सोलर?

रुफटॉप सोलर अपनाने से आपका बिजली बिल शून्य हो सकता है। यह हर मौसम में बिजली पैदा करता है और एक बार का निवेश आपका पूरे 25 साल तक लाभ देता है। इसके लिए बहुत बड़ी जगह की भी जरुरत नहीं होती– केवल लगभग 80 वर्ग फुट छाया–रहित छत पर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है।

"प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना" और "दिल्ली सौर ऊर्जा नीति" के तहत दिल्लीवासियों को सोलर प्लांट पर ₹1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। उदाहरण के लिए, 3 किलोवाट का प्लांट लगभग ₹2 लाख का आता है। इसमें केंद्र से ₹78,000 और दिल्ली सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी मिलकर कुल ₹1.08 लाख हो जाती हैं। यानी उपभोक्ता को सिर्फ ₹92,000 देने होते है। जिसे आसान बैंक लोन (लगभग 6% ब्याज दर पर) से भी चुकाया जा सकता है। हाउसिंग सोसइटी (RWA/GHS) को भी ₹20,000/KW सब्सिडी मिलती है।

इसके साथ ही 5 साल तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (GBI) भी मिलती है– 3 KW तक प्रति यूनिट ₹3 और 3–10 KW तक प्रति यूनिट ₹2।

आइए, बचत का सरल हिसाब समझें–

अगर आपकी मासिक खपत 500 यूनिट है तो 3 KW सोलर सिस्टम से आपका बिजली बिल शून्य हो सकता है। इससे लगभग ₹3,000 प्रतिमाह की बचत होगी। साथ ही, 5 साल तक ₹900 प्रतिमाह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (GBI) भी मिलेगा। कुल मिलाकर 25 साल में आप लगभग ₹9 लाख तक बचा सकते हैं।

इसलिए आज ही www.pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करें, अपना अधिकृत वेंडर चुनें और अपनी बिजली कंपनी (डिस्कॉम) के टोल–फ्री नंबर पर संपर्क करें।

आइए, जिम्मेदारी और गर्व के साथ सौर ऊर्जा अपनाएं एवं दिल्ली को रोशन करें।

सादर,

भवदीय,

ashish

(आशीष सूद)
ऊर्जा मंत्री, दिल्ली

A-Wing, 7th Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002
Tel. No.:23392116, 23392117 Email : min-hep@delhi.gov.in

BSES
BSES Yamuna Power Limited
a joint venture with GONCTD

संवाद

www.facebook.com/bsesdelhi https://twitter.com/BSESDELHI

अक्टूबर - 2025

सुरक्षा अलर्टः

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें

दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूमतम समतलदूरी/हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट्स तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के निए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

सुरक्षित तरीके से भुगतान कैसे करें

कंज्यूमर अलर्ट

हमेशा अलर्ट रहें और अपने बिजली बिल का भुगतान बोनाफाइड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही करें

	बीआरपीएल	बीवाईपीएल
बीएसईएस वॉट्सऐप	बस "Hi" लिखें और उसे 8800919123 पर भेज दें	बस "Hi" लिखें और उसे 8745999808 पर भेज दें
मोबाइल ऐप*	बीआरपीएल पावर ऐप	बीवाईपीएल कनेक्ट
वेबसाइट*	www.bsesdelhi.com	
ई-वॉलेट्स	पेटीएम/फोनपे/गूगलपे/अमेजॉन पे	
क्यूआर कोड	बिल पर छपा	
पे नाउ ऑप्शन	बिल पर छपा	

BSES की ओर से कंज्यूमर अलर्ट

ताकि बिजली बिल के भुगतान संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेज के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके

फीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजेंः कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़ूमा, दिल्ली-110032
सीआईएनः CIN:U40109DL2001PLC111525, फोनः 11-4124-7111/4124-9273, ईमेलः bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइटः www.bsesdelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं

टॉल फ्री 24x7
19122

बिजली चोरी संबंधी
8588892156

बिजली गुल की शिकायत
8745999808

स्ट्रीटलाइट
41999808

बीवाईपीएल, शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली - 110032 के लिए फ्रेंड्स कलर इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, 148, सेक्टर 4, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा - 122050 द्वारा मुद्रित